न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

मोहम्मद याकूब बनाम श्रीमती ध्यापूबाई

किस्म मुकदमा धारा-223 मि. नं. 18/2020 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सी॰पी॰ खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री रामबाबू माहेश्वरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली में आदेश सुनाये जाने हेतु पत्रावली का अवलोकन किया जाते समय पाया गया कि पत्रावली पूर्व में दिनांक 05-05-2017 को अभिभाषक अपीलांट के द्वारा NOTE-PRESS में खारिज की जा चुकी है तथा NOTE-PRESS में खारिज अपील की पुनः अपील (अपील दर्ज रजिस्टर) नहीं की जा सकती है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर पत्रावली NOTE-PRESS में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) डॉ0 अनुपमा टेलर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,
कोटा
संख्या .... / 2014

मोहम्मद याकूब आत्मज हाजी गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी डग तहसील गंगधार जिला झालावाड — अपीलान्ट

बनाम

1— श्रीमती धापूबाई बेवा भगवान जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
2— श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील गंगधार
3— श्री नवीनकुमार आत्मज रामलाल जाजू जाति माहेश्वरी निवासी डग तहसील गंगधार जिला झालावाड

— रेस्पोन्डेन्टस

अपील

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी गंगधार जो प्रकरण संख्या 124/2013 में दिनांक 10.4.14 को प्रदान कर अपीलान्ट / वादी का दावा खारिज कर दिया।

मान्यवर,

अपीलान्ट अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है:—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डग में खसरा नं. 522 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है। यह आराजी रेस्पोन्डेन्ट नं.1 के खाते की है। इस आराजी का साबिक खसरा नं. 456 रहा है। इस आराजी में रेस्पोन्डेन्ट नं.1 का 1/2 हिस्सा रहा है। इसका कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा था। रेस्पोन्डेन्ट नं.1 ने अपना सम्पूर्ण खाता अपीलान्ट को बिल एवज 13000/— रूपये में दिनांक 22.10.79 को बेचान कर रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्रेशन के बाद पता चला कि खसरा नं. 522 की आराजी मगन, चेना वगैरा लोधा के खाते में दर्ज है, इसलिए यह आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज होने से रह गई। फिर अपीलान्ट ने इस आराजी के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी में दावा किया और वापिस रेस्पोन्डेन्ट नं.1 के खाते में दर्ज करवाई। निर्णय दिनांक 29.11.89 का है। सारा खर्चा अपीलान्ट ने इस दावे का किया। रेस्पोन्डेन्ट नं.1 के खाते आराजी खसरा नं. 522 दर्ज हो जाने के बाद उसकी नियत बदल गई और उसने वादी के नाम रजिस्ट्री कराने से इन्कार कर दिया इस कारण वादी ने कब्जे के आधार पर इस आराजी को अपने नाम दर्ज कराने का दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे बाद तहकीकात खारिज कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट के खिलाफ कार्यवाही एक तरफा रही है क्योंकि वे बाद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। इसी निर्णय से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत है।

1— यहकि निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी गंगधार न्याय, विधान व तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।
2— यहकि निर्णय व डिक्री cryptic है यानि संक्षिप्त है जो whims & surmises पर आधारित होने से निरस्त होने योग्य है।
3— यहकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट / वादी के प्रकरण को समझने में भूल की है।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

मोहम्मद याकूब बनाम श्रीमती धापूबाई

किस्म मुकदमा धारा – 223 मि. नं. 18/2020 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री रामबाबू माहेश्वरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-08-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पो० उपस्थित R-3 की ओर से। अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की जा चुकी है जिसके जबाब मे अभिभाषक रेस्पो० द्वारा भी लिखित बहस पेश की गई जो शा० फा० रहे। लिखित बहस की छायाप्रति अभि० अपीलांट को दी जावे। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि० 26 8/22 को पेश हो। डॉ0 अनुपमा टेलर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
26-08-22	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दि० 05-05-2017 को अभिभाषक अपीलांट श्री नवनीत चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपील NOTE PRESS करने हेतु आदेशिका पर NOTE PRESS मय हस्ताक्षर अंकन किया जिसके आधार पर पत्रावली को NOTE-PRESS मे खारिज कर दिया गया था। अभिभाषक अपीलांट श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल द्वारा दि० 15-05-2018 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दि० 18-06-2018 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र ~~खारिज किया गया दर्ज~~ स्वीकार किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। आदेशिका दि० 06-01-2020 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु आदेश दिया गया। पत्रावली अपील सं. 18/2020 पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली मे नोटिस सम्मन तामील करवाये गये। रेस्पोंडेंट R-3 की ओर से श्री राम बाबू माहेश्वरी एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो पत्रावली मे संलग्न है। आदेशिका दि० 05-08-2022 के अनुसार अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा अभिभाषक रेस्पोंडेंट R-3 द्वारा जबाब बहस पेश की गई। दोनों अभिभाषकों की बहस के आधार पर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 26-08-2022 नियत की गई। —लगातार—	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★